

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 06.12.2021 को प्रथम चरण (11:00 से 02 बजे तक) में प्रस्तावित भू-उपयोग आवासीय से सम्बन्धित के अन्तर्गत प्राप्त 33 आपत्तियों/सुझावों तथा द्वितीय चरण (3:30 से 5:00 बजे तक) में कार्यालय से सम्बन्धित 04 आपत्तियों/सुझावों हेतु शासन से गठित समिति द्वारा सुनवाई की गयी, जिसमें प्रथम पाली में 17 तथा द्वितीय पाली में 02 आपत्तियों/सुझावों के सम्बन्ध में अनुपस्थित आवेदक निम्नानुसार हैं:-

प्रथम पाली-(11:00 से 02:00 बजे तक)

क्र०सं०	आपत्ति/सुझाव	आपत्ति संख्या
1.	श्री सम्राट अग्रवाल, श्री पुनीत मित्तल, श्री राजीव कक्कड़, व श्री अनिल कुमार गर्ग।	27
2.	श्री यशवीर सिंह पुत्र स्व० श्री रामप्रसाद	36
3.	श्री साईद खां पुत्र श्री नफीस खां, श्री हफिज खां पुत्र श्री नफीस खां एव श्री नसीम खां पुत्र श्री नफीस खां	58
4.	श्री मौहम्मद शारिक, व श्रीमती सना सप्रीम ऑयल कम्पनी	66
5.	श्री इमामउददीन पुत्र महबुल्ला, इस्लामुददीन, साबिर अली, रियाजुददीन पुत्रगण श्री इमामउददीन।	67
6.	श्री शाहबुददीन खाँ पुत्र श्री अशरफ खाँ, उमर फरूख खान पुत्र श्री हसन अहमद खान	68
7.	श्री जितेन्द्र मोहन शुक्ला, डा० जितेन्द्र सिंह (एडवोकेट)	70
8.	श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री नेत्र सिंह	81
9.	श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री नेत्र सिंह	82
10.	श्रीमती रूबैदा खातून पत्नी श्री अहसान अली, अहसान आटोमोबाईल	87
11.	श्री अर्जुमन्द परवेज ममलिक पुत्र श्री अब्दुर्रुफ	88
12.	श्रीमती मीनू देवी पत्नी श्री प्रदीप सिंह	128
13.	श्रीमती नेमवती पत्नी श्री महताब सिंह	133
14.	श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह	134
15.	श्री दर्शन अरोड़ा पुत्र श्री आत्मप्रकाश अरोड़ा व श्री दयाल अरोड़ा पुत्र श्री आत्माप्रकाश अरोड़ा।	148
16.	श्री नौबहार सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह	210
17.	श्रीमती आफरीन खातून पत्नी श्री इसरार अहमद	309

द्वितीय पाली-(03:30 से 05:00 बजे तक)

क्र०सं०	आपत्ति/सुझाव	आपत्ति संख्या
1.	श्री आकाश गर्ग पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग एवं श्रीमती कंचन गर्ग पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग	250
2.	श्री गौरव सिद्धू पुत्र श्री रणवीर सिंह	337

उपरोक्त आवेदकों को दिनांक 07.12.2021 को प्राधिकरण कार्यालय में पूर्वान्ह 11:00 बजे से समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाता है।

यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि किसानों के समक्ष कतिपय व्यक्तियों द्वारा भ्रान्ति उत्पन्न की जा रही है कि गजरौला नगर में किसानों/भू-स्वामियों की भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जा रही है, जो निराधार है। प्राधिकरण द्वारा किसी भू-स्वामी की भूमि अर्जित नहीं की जा रही है। गजरौला नगर हेतु महायोजना तैयार की जा रही है, जिसमें गजरौला नगर के सुनियोजित विकास हेतु मात्र विभिन्न भू-उपयोगों का निर्धारण किया जा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दिनांक 08.12.2021 को मानचित्र मेले का आयोजन किया जा रहा है।

आर्किटेक्ट/इंजी०/डेवलपर की सहभागिता हेतु आवश्यक पहलुओं पर विचार-विमर्श हेतु दिनांक 09.12.2021 को 3:30 बजे बैठक आहूत की है।